न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 19 / 2022
दायर दिनाकं : 29.04.2022
निर्णय दिनांक : 08.07.2022

उनवान

1. छगनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
2. उमाशंकर पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
3. घनश्याम पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
4. प्रेमदेवी पत्नि मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
5. हजारीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
6. गीता पत्नि छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
7. रामोती पत्नि हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास बडी तह0 व जिला दौसा।
8. सन्तोष पुत्री मदनलाल पत्नि आशीष कुमार जाति ब्राह्मण ग्राम गण्डरावा तहसील सिकराय जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. उपतहसीलदार उपतहसील भाण्डारेज जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम बैरावास बडी तहसील दौसा के रहने वाले है। प्रार्थीया संख्या 08 का विवाह हो जाने से वह वर्तमान में अपने ससुराल में ग्राम गण्डरावा तहसील सिकराय में रह रही है। ग्राम बैरावास बडी तहसील दौसा में कृषि भूमि खाता संख्या नया 24 की भूमि आराजी ख0 नं0 473, 474, 475, 476, 480, 484, 485, 486 कुल किता 8 रकबा 0.88 है0 तथा खाता संख्या नया 202 की भूमि आराजी ख0 नं0 21, 331, 354, 365, 366, 367, 487, 490, 548 कुल किता 9 रकबा 4.09 स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। इस भूमि पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगों की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में खेती करते है और अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं ताकि प्रार्थीगण की भूमि व फसल की सुरक्षा रहे। उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र

लगातार....2.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बैरावास बडी तहसील दौसा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 24 की भूमि आराजी ख0 नं0 473, 474, 475, 476, 480, 484, 485, 486 कुल किता 8 रकबा 0.88 है0 तथा खाता संख्या नया 202 की भूमि आराजी ख0 नं0 354, 365, 366, 367, 487, 490, 548 कुल किता 7 रकबा 2.06 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना–पत्र में अंकित ग्राम बैरावास तहसील दौसा के खाता संख्या 24 में गीता पत्नि छगनलाल हिस्सा 1/3, प्रेम पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/3 तथा रामोती पत्नि हजारीलाल हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 202 में खातेदार उमाशंकर, घनश्याम पि0 मदनलाल हि0 1/6, प्रेमदेवी पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/12, संतोष पुत्री मदनलाल हि0 1/12, छगनलाल, हजारीलाल पि0 कन्हैयालाल हि0 2/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान नहीं हुआ है तथा वर्णित खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान विवादास्पद प्रकृति का है। जिसका सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा किया जाना उचित है। उक्त ख0 नं0 का सीमाज्ञान/पत्थरगढी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही किया जाना सम्भव है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 24 की खतेदारी गीता पत्नि छगनलाल, प्रेम पत्नि मदनलाल तथा रामोती पत्नि हजारीलाल के तथा खाता संख्या 202 की खतेदारी उमाशंकर, घनश्याम पि0 मदनलाल, प्रेमदेवी पत्नि मदनलाल, संतोष पुत्री मदनलाल, छगनलाल, हजारीलाल पि0 कन्हैयालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो खाता संख्या 24 की आराजी ख0 नं0 473, 474, 475, 476, 480, 484, 485, 486 तथा खाता संख्या 202 की भूमि आराजी ख0 नं0 354, 365, 366, 367, 487, 490, 548 वाके ग्राम बैरावास तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बरों के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:53 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)